अपील सूचना अधिकार संख्या 59/2020 (RCMS 2020/00131) गुरलाल सिंह पुत्र सुखपाल सिंह वीपीओ करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर–335062 (मोबाईल नं. 99295–90032) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुरलाल स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2020 प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा उसे समय उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. पंचायत चुनाव 2020 की निर्वाचक नामावली लोकसभा चुनाव 2019 की नामावली सूची के डाटा बेस से तैयार की गई है। लेकिन श्रीमानजी लोकसभा चुनाव से पहले दिनांक 27.04.2019 को अपीलकर्ता द्वारा वोट कटवाने हेतु निर्वाचन आयोग का प्रारूप 07 के तहत आवेदन कर दिया गया था। जिसकी पावती संलग्न है। जबकि लोकसभा चुनाव 27.04.2019 के बाद सम्पन्न हुई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. पंचायत चुनाव 2020 की निर्वाचक नामावाली में ग्राम पंचायत करड़वाला के वार्ड नं0 06 के मतदाता क्रम संख्या 06 भूपेन्द्र सिंह व क्रम संख्या 07 हरपाल कौर के वोट बनवाते वक्त बीएलओ द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था या नही भौतिक सत्यापन के वक्त किन–किन व्यक्तियों वास्ते गवाह हस्ताक्षर लिये गये कि प्रमाणित छाया रिपोर्ट उपलब्ध करावे।
3. पंचायत चुनाव 2020 की निर्वाचक नामावाली में ग्राम पंचायत करड़वाला के वार्ड नं0 06 के मतदाता क्रम संख्या 06 भूपेन्द्र सिंह व क्रम संख्या 07 हरपाल कौर के मकान नं0 211 का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व मकान की छाया चित्र व जीओ टेगिंग छाया चित्र उपलब्ध कराये।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक एफ. आरटीआई/2020/3157 दिनांक 29.06.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

क्र. सं.	आवेदन पत्र का बिन्दु	विभागीय सूचना
1	पंचायत चुनाव 2020 की निर्वाचक नामावली लोकसभा चुनाव 2019 की नामावली सूची के डाटा बेस से तैयार की गई है। लेकिन श्रीमानजी लोकसभा चुनाव से पहले दिनांक 27.04. 2019 को अपीलकर्ता द्वारा वोट कटवाने हेतु निर्वाचन आयोग का प्रारूप 07 के तहत आवेदन कर दिया गया था। जिसकी पावती संलग्न है। जबकि लोकसभा चुनाव 27.04.2019 के बाद सम्पन्न हुई है।	पंचायत चुनाव 2020 को नामावाली विधानसभा सादुलशहर की अन्तिम रूप से 22.02.2019 को प्रकाशित मतदाता सूची के डाटा बेस से तैयार की गई थी। जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव की घोषण/लोकसूचना जारी होती है। उस दिनांक से भारत चुनाव आयोग द्वारा अपने स्थाई आदेश द्वारा मतदाता सूची में से मत हटाने व संशोधन पर रोक लगा दी जाती है। इस कारण पूरक 02 में केवल

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

		परिवर्धित मत होते है। दौरान सादुलशहर विधानसभा के लिए जो पूरक 03 तैयार किया गया उसमें सम्बन्धित भाग संख्या इन मतदाताओं के मत विलोपित है।
2	पंचायत चुनाव 2020 की निर्वाचक नामावाली में ग्राम पंचायत करड़वाला के वार्ड नं0 06 के मतदाता कम संख्या 06 भूपेन्द्र सिंह व कम संख्या 07 हरपाल कौर के वोट बनवाते वक्त बीएलओ द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था या नही भौतिक सत्यापन के वक्त किन–किन व्यक्तियों वास्ते गवाह हस्ताक्षर लिये गये कि प्रमाणित छाया रिपोर्ट उपलब्ध करावे।	पंचायत चुनाव 2020 की प्रारूप निर्वाचक नामावाली का दावे व आपत्तियों के लिए प्रारूप प्रकाशन दिनांक 04.12.2019 को किया गया था। दिनांक 04.12. 2019 से दिनांक 13.12.2019 तक दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करनी थी। चूंकि इस दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नही होने की वजह से इनका मत पंचायत चुनाव 2020 की नामावाली में सम्मिलित रहा। बिना विहित प्रकिया के किसी भी निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली से नही हटाया जा सकता है।
3	पंचायत चुनाव 2020 की निर्वाचक नामावाली में ग्राम पंचायत करड़वाला के वार्ड नं0 06 के मतदाता कम संख्या 06 भूपेन्द्र सिंह व कम संख्या 07 हरपाल कौर के मकान नं0 211 का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व मकान की छाया चित्र व जीओ टेगिंग छाया चित्र उपलब्ध कराये।	पंचायत आम चुनाव 2020 के लिए पंचायत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय इनका नाम ग्राम पंचायत के सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित था। इसलिए पंचायत चुनाव 2020 की नामावाली में इन मतदाताओ का नाम सम्मिलित करने के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ था।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 29.06.2020 को उक्तानुसार दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है,** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ. तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर